

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक: 20.04.2018

संख्या-18(प्रो0को0)/डी0ए0सी0पी0/01-06/2016- 134 (प्रो 134)/स्वा0, स्वास्थ्य विभाग के अधिसूचना सं0 1069(2) दिनांक 14.10.2014 द्वारा बिहार दंत सेवा संवर्ग के दंत चिकित्सा पदाधिकारियों को डायनेमिक ए0सी0पी0 का वित्तीय लाभ 6 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरान्त पद उत्क्रमण के साथ, प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन, द्वितीय एवं तृतीय सुनिश्चित वृद्धि उन्नयन पद उत्क्रमण के साथ प्रथम सुनिश्चित वृद्धि उन्नयन के छः-छः वर्षों के समान अन्तराल के पश्चात् डायनेमिक ए0सी0पी0 की सुविधा अधिकतम पी0बी0-4 ग्रेड पे-8700/- के वेतनमान तक अनुमान्य है।

बिहार दन्त चिकित्सा सेवा नियमावली, 2014 दिनांक 14.10.2014 से प्रभावी हैं इसलिए दन्त चिकित्सा पदाधिकारी को दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक और दिनांक 14.10.2014 से वास्तविक लाभ दिये जाने का परामर्श वित्त विभाग के द्वारा दिया गया है।

बिहार दन्त सेवा संवर्ग के दन्त चिकित्सा पदाधिकारियों को कतिपय कारणों से डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ नहीं दिया जा सका था तथा उनमें से कुछ अभी भी कार्यरत हैं, कुछ सेवा निवृत्त/ऐच्छिक सेवा निवृत्त हो चुके हैं एवं कुछ की मृत्यु हो चुकी है। उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ उन्हें देय तिथि से अनुमान्य होगा।

संलग्न सूची में दंत सेवा संवर्ग के कुल-04(चार) दंत चिकित्सकों को इनके नाम के सामने अंकित तिथि से यथा उल्लेखित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 प्रदान की जाती है।

भविष्य में यदि इस उन्नयन में कोई त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित मामले में डायनेमिक ए0सी0पी0 के तहत दी गई पद के स्तर से उन्नयन स्वीकृति की तिथि से परिमार्जित की जा सकेगी तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संबंधित चिकित्सकों से किया जायेगा।

डायनेमिक ए0सी0पी0 वित्तीय उन्नयन के साथ पद का उन्नयन है अतः वेतन/पेंशन का निर्धारण वित्त विभाग के मौलिक नियमों के अनुसार होगा।

इस अधिसूचना में किसी चिकित्सा पदाधिकारी के नाम/वरीयता क्रमांक/योगदान की तिथि/जन्म तिथि/डायनेमिक ए0सी0पी0 की अनुमान्यता (कोई सेवा अवधि अविनियमित रहने के कारण) की तिथि में कोई संशोधन अपेक्षित है तो इसके लिए प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग ही सक्षम प्राधिकार होंगे।

महालेखाकार एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग द्वारा अधिसूचित डायनेमिक ए0सी0पी0 के संबंध में वेतन पर्ची निर्गत करने के पूर्व उनकी देयता की जांच कर ली जाएगी।

क्र0 सं0	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक 2008	जन्म की तिथि	स्वास्थ्य सेवा में योगदान की तिथि	अधिसूचना सं0 3768(वि0) दिनांक 29.04. 2014			बिहार दंत चिकित्सा सेवा नियमावली-2014 दिनांक 14.10.2014 प्रभावी अधिसूचना सं0 1069(2) दिनांक 14.10.2014		
					प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 रु0 10000-15200 (पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100 /- वेतन बैंड-PB3, ग्रेड वेतन- 6600/-	द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रु0 12000-16500 (पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100 /- वेतन बैंड-PB3, ग्रेड वेतन- 7600/-	तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रु0 14300-18300 (पुनरीक्षित वेतनमान 37400-67000 /- वेतन बैंड-PB4, ग्रेड वेतन- 8700/-	प्रथम डायनेमिक ए0सी0पी0 रु0 10000-15200 (पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100 /- वेतन बैंड-PB3, ग्रेड वेतन- 6600/-	द्वितीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रु0 12000-16500 (पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100 /- वेतन बैंड-PB3, ग्रेड वेतन- 7600/-	तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 रु0 14300-18300 (पुनरीक्षित वेतनमान 37400-67000 /- वेतन बैंड-PB4, ग्रेड वेतन- 8700/-
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	डा0 अशोक कुमार श्रीवास्तव से0नि0- 31.5.2010	—	1.6.48	14.11.81	—	—	1.1.2006	—	—	—

134 (प्रो 134)  
20.04.18

2	डा० चन्द्रशेखर प्रसाद मिश्र से०नि०- 31.10.2011	—	3.10.49	2.11.81	—	—	1.1.2006	—	—	—
3	डा० आमोद नारायण शर्मा से०नि०- 31.7.2011	—	31.7.49	20.9.74	1.1.2006	1.1.2006	1.1.2006	—	—	—
4	डा० राम बाबु से०नि०- 30.6.2010	—	28.6.48	23.7.82	—	—	1.1.2006	—	—	—

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / —

(अंजनी कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-18(प्र०को०)/डी०ए०सी०पी०/०1-०6/2016- 134(५०१०) /स्वा०, पटना, दिनांक : 20.04.2018

प्रतिलिपि: महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना एवं वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र निर्गत होने के पूर्व अपने सेवा अभिलेख से यह सुनिश्चित हों लें कि सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी, डायनेमिक ए.सी.पी. स्वीकृति हेतु सभी अर्हताएँ पूरी करते हैं ।

प्रतिलिपि: अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/सम्बंधित सिविल सर्जन/सम्बंधित चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक तथा निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, संबंधित दंत चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर से ज्ञापांक अंकित कर अपने जिला संस्थान से सम्बंधित चिकित्सा पदाधिकारी को इसकी प्रति निश्चित रूप से प्राप्त करा दें ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष विभागीय प्रोन्नति समिति एवं संबंधित सदस्य/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें के निजी सहायक/स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,7,8,9 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: विभागीय आई०टी० मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि कृपया इस अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

20/4/18

सरकार के अवर सचिव